संख्या:-   /2006/XIV-1/2006

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां उत्तरांचल।

सहकारिता गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1   देहरादून   दिनॉक 28 सितम्बर, 2006

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत प्लान की ट्रायबल सब प्लान (जिला सेक्टर) के अर्न्तगत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल के पत्र संख्या 2185/ नियो0/टी0एस0पी0/ 2005-06 दिनांक 28.7.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष की जनजाति उपयोजना (जिला सेक्टर) की योजना में कृषि कार्यो हेतु अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरण, बीज वितरण,कृषि रक्षा रसायनिको,उपभोक्ता सामग्री आदि के क्रय हेतु जनपदवार आवंटित/ विभिन्न मदो में उपलब्ध प्राविधान जो भी कम हो, की सीमा तक कुल रूपया 14.37 लाख रूपये (रू0 चौदह लाख सैत्तीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने की संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के तहत प्रदान करते है-

(1)इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय ।

(2)सभी कार्यक्रमो की वार्षिक/मासिक लक्ष्यो का निर्धारण तत्काल किया जाय तथा फिल्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यो की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

(3)उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि धनराशि केवल जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में स्थापित सहकारी समितियो के उत्थान हेतु ट्रायबल सब प्लान के अर्न्तगत जिला योजना स्वीकृत परिव्यय के अनुसार व्यय किया जाय तथा ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये समुचित रूप से जिम्मेदार होगा और उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(4)उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग उत्तरांचल शासन तथा महालेखाकार उत्तरांचल को भिजवाना सुनिश्चित करे ।

(5)उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अर्न्तगत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित

शासनादेश संख्या /XIV–1/2006 दिनांक सितम्बर 2006 का संलग्न

वित्तीय वर्ष 2006–07 में ट्रायबल सब प्लान के अन्तर्गत (जिला योजना) जनपदो की स्वीकृति व लेखाशीर्षकवार धनराशियो के आवंटन का विवरण-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0 31/लेखाशीर्षक	नैनी0	उ0सि0 नगर	अल्मोडा	बागेश्वर	पिथौ0	चम्पावत	देहरादून	हरि द्वार	पौडी	टिहरी	चमोली	रूद्र प्रयाग	उ0 काशी	योग
2425–सहकारिता–आयोजनागत 796–जनजाति उपक्षेत्र योजना 03–जनजाति उपक्षेत्र योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियो को अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.42	3.10	–	0.10	1.29	–	4.49	–	–	2.60	1.10	–	1.15	14.2
04–अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को अंश कय हेतु अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.01	–	–	0.005	0.01	–	0.025	–	–	0.01	–	–	–	0.06
योगः– 2425	0.43	3.10	–	0.105	1.30	–	4.515	–	–	2.61	1.10	–	1.15	14.3
6425–सहकारिता के लिये कर्ज 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 03–सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को ब्याज रहित ऋण 30–निवेश/ ऋण	0.01	–	–	0.005	0.01	–	0.025	–	–	0.01	–	–	–	0.06
योगः– 6425	0.01	–	–	0.005	0.01	–	0.025	–	–	0.01	–	–	–	0.06
महायोगः–	0.44	3.10	–	0.11	1.31	–	4.54	–	–	2.62	1.10	–	1.15	14.3

(बी.आर.टम्टा)
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

(6)यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय वितरण सहित शासन/ महालेखाकार उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जाय तथा आय व्ययक मे अपनाई गई कम्पोजिट ग्रान्ट की प्रणाली के अर्न्तगत एक लेखा का राजस्व व्यय तथा पूंजी व्यय (जिसमें ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित है) एक ही अनुदान के अर्न्तगत प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रणाली में पूजी व्यय से राजस्व व्यय में पुनर्वियोग वर्जित है।

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.3.2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाय और उक्त तिथि तक कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

3. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या –31 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–00–(आयो0)–796–जनजाति उपक्षेत्र योजना –03 –जनजाति उपक्षेत्र योजनान्तर्गत सहकारी समितियां को अनुदान 20– सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता के अर्न्तगत संलग्नक में वर्णित योजनाओ/शीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–412/वित्त अनुभाग–4/2005 दिनांक 21.09.2006में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

डा0रणवीर सिंह
सचिव।

संख्या:-789 (1)/XIV-1/2006तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग माजरा उत्तरांचल देहरादून।।
2.समस्त कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
3–निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल सचिवालय परिसर ।
4–अपर निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराचंल को अल्मोड़ा जनपद की स्वीकृति के आहरण हेतु ।
5– सचिव वित्त/ नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
6– वित्त बजट एवं साख्यिकीय निदेशालय उत्तरांचल ।
7–वित्त अनुभाग–4 उत्तराचंल शासन ।
8–निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तरांचल।
9–निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी/मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।